उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

06/02/25

पत्रावली पेश हुयी। अनुसार कार्यवाही वादी की बहस सुनी। तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। बहस के बिन्दु पर मनन किया गया। जिसके आधार पर वाद-पत्र डिक्री किया जाकर है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा. कि० [illegible] किया पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर हो। बाद [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर ए एस)

मुकदमा नम्बर – 169 / 2012
दावा दिनांक – 23.07.2012
निर्णय दिनांक – 06.02.2025

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम पुत्र तुलसा जाति अहीर निवासी हमीदपुर तहसील बहरोड।
2. बाबूलाल पुत्र मुखराम पुत्र तुलसा जाति अहीर निवासी हमीदपुर तहसील बहरोड।
3. राजेन्द पुत्र मुखराम पुत्र तुलसा जाति अहीर निवासी हमीदपुर तहसील बहरोड। —

वादीगण

बनाम

1. रामौतार पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
2. जगदीश पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
3. अमीलाल पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
4. सुरेन्द्र पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
5. रामप्रताप पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
6. राजपाल पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
7. सुबेसिंह पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
8. रोशनी पुत्री रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
9. रामप्यारी पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड।
10. उप पंजीयक महोदय बहरोड।
11. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदया कोटपूतली बहरोड। —

प्रतिवादी

दावा इस्तकारहक हक व दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्म इम्तनाई दवामी।

उपस्थित :–

1 श्री हुक्म चन्द यादव अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष निर्णय हेतु पेश कि गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादीगण ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 09 सभी ग्राम हमीदपुर तहसील बहरोड के रहने वाले है। साबिक खसरा नम्बर 631/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 968 रकबा 0.44 वाकै ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड कायम हुये है जो आराजी इस वाद पत्र में आराजी मुतनाजा से प्रदर्शितत की जावेगी। आराजी मुतनाजा हम वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जो साबिक खसरा नम्बर 633/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड में संवत 2042 से पूर्व की जमाबन्दी में हम वादीगण के पिता मुखराम पुत्र तुलसा अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड की खातेदारी में बदस्तुर कायम रही है जो जीवन पर्यन्त आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

करते रहे है व उनकी फौतगी के बाद हम वादीगण बतौर जायज वारिसान आराजी मुतनाजा पर काबिज रह कर काश्त व हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है व काबिज है। बन्दोबस्त संवत 2042 में बन्दोबस्त कर्मचारियो ने साबिक खसरा नम्बर 633/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 968 रकबा 0.44 वाके ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड कायम कर कुल आराजी मुतनाजा में मुखराम पुत्र तुलसा का नाम कर्तई हटा दिया व कुल आराजी मुतनाजा बैजा तौर पर बहादुर रूगनाथ पुत्रान देवकरण अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड की खातेदारी में दर्ज कर दिया जो अब बहादुर व रघुनाथ दोनो ही फौत हो चुके है जिसमें बहादुर की फौतगबी के बाद उसका विरासत का इन्तकाल उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 04 के नाम दर्ज व मन्जूर हो गया व रघुनाथ की फौतगी के बाद उसका विरासत का इन्तकाल एसके वारिसयान प्रतिवादी सं0 05 लगायत 09 के नाम व दर्ज व मंजूर हो गया जो अब कुल आराजी मुतनाजा बैजा तौर पर प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 09 की खातेदारी में बदस्तुर कायम चली आ रही है। जो खिलाफ कानून मौका व साबिक रिर्काड है जो बैजा इन्द्राजात सभी हकूक वादीगण बातिल व बैअसर करार दिया जाकर आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर हाल 968 रकबा 0.44 वाके ग्राम हमीदपुर में प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 09 के खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर कुल आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार बतौर जायज वारिसान मुखराम पुत्र तुलसा वादीगण को घोषित किया जाकर इसी प्रकार की दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र को दर्ज कर प्रतिवादीगणो का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिससे इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संवत 2065–2068 वाके ग्राम हमींदपुर प्रदर्श–01,नकल जमाबन्दी संवत 2036 वाके ग्राम हमींदपुर प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श–3, नकल नोटिस 80 सी.पी.सी प्रदर्श–4, रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श–5 व प्रदर्श–06, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का हमींदपुर दिनांक 25.05.2018 प्रदर्श–7 व प्रदर्श–08, प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2018 प्रदर्श–09, नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072 वाके ग्राम हमींदपुर प्रदर्श–10, नकल जमाबन्दी संवत 2036 प्रदर्श–11 आदि व गवाह वादी संवम व राप्रताप पुत्र महावीर प्रसाद जाति अहीर निवासी हमींदपुर व कंवरसिंह पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़ के शपथ पत्र पेश किये है।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा वकुलाय की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा हम वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जो साबिक खसरा नम्बर 633/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड में संवत 2042 से पूर्व की जमाबन्दी में वादीगण के पिता मुखराम पुत्र तुलसा अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड की खातेदारी में बदस्तुर कायम है जो प्रदर्श–2 से स्पष्ट है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 633/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 968 रकबा 0.44 वाके

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

ग्राम हमींदपुर तहसील बहरोड कायम किये गये है। विवादित आराजी जमाबन्दी संवत 2036 के खसरा नम्बर 633/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा मुखराम पुत्र तुलसा अहीर के नाम दर्ज रिकोर्ड है। जो प्रदर्श–02 से स्पष्ट है। मिलान क्षेत्रफल सवंत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 633/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का हाल नम्बर 968 रकबा 0.44 बनाया गया जो हाज जमाबन्दी संवत 2065–2068 में सरवण बेवा बहादुर ,रामौतार जगदीश अमीलाल सुरेन्द्र लि0 बहादुर अहीर 1/2 रामप्रताप राजपाल सुबेसिंह पुत्रान रूधनाथ स0मा हि0 9/20 रोशनी रामप्यारी पुत्रीयान रूधनाथ हि. 1/20 कौम अहीर सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया है अब बहादुर व रधुनाथ दोनो ही फौत हो चुके है जिसमें बहादुर की फौतगी के बाद उसका विरासत का इन्तकाल उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 04 के नाम दर्ज व मन्जूर हो गया व रधुनाथ की फौतगी के बाद उसका विरासत का इन्तकाल एसके वारिसयान प्रतिवादी सं0 05 लगायत 09 के नाम व दर्ज व मंजूर हो गया जो अब कुल आराजी मुतनाजा बैजा तौर पर प्रतिवादीगण सं.1 लगायत 09 की खातेदारी में बदस्तुर कायम चली आ रही है। जो कि काबिल दुरूस्त है। प्रतिवादीगण वाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिससे उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। जिस सूरत में वादीगगण का यह वाद पत्र काबिल डिक्री पाया जाता है।

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर हाल 968 रकबा 0.44 वाके ग्राम हमीदपुर में प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 09 के खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर मुखराम पुत्र तुलसा के वारिसान वादीगण को घोषित किया जाता है। इसी कदर राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 06.02.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :– 189 / 2012
दायर दिनांक :– 23.07.2012
निर्णय दिनांक :– 06.02.2025

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम पुत्र तुलसा जाति अहीर निवासी हमीरपुर तहसील बहरोड़।
2. बाबूलाल पुत्र मुख्यराम पुत्र तुलसा जाति अहीर निवासी हमीदपुर तहसील बहरोड़।
3. राजेन्द्र पुत्र मुखराम पुत्र तुलसा जाति अहीर निवासी हमीदपुर तहसील बहरोड़। ......

वादीगण

बनाम

1. रामौतार पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हंमीदपुर तहसील बहरोड़।
2. जगदीश पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
3. अमीलाल पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
4. सुरेन्द्र पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
5. रामप्रताप पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
6. राजपाल पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
7. सुबेसिंह पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
8. रोशनी पुत्री रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
9. रामप्यारी पुत्र रूगनाथ जाति अहीर निवासी हमींदपुर तहसील बहरोड़।
10. उप पंजीयंक महोदय बहरोड़।
11. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदया कोटपूतली बहरोड़। ....

प्रतिवादी

<u>दावा इस्तकारहक हक व दुरूस्ती इन्द्राजात व हुक्म इम्तनाई दवामी।</u>

उपस्थित :–

1. श्री हुक्म चन्द यादव अधिवक्ता वादीगण।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष निर्णय हेतु पेश कि गई। हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर हाल 968 रकबा 0.44 वाके ग्राम हमीदपुर में प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 09 के खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर मुखराम पुत्र तुलसा के वारिसान वादीगण को घोषित किया जाता है। इसी कदर राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 06.02.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)